



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-700/MH/3/2022-ESDW

दिनांक: 28.01.2023

सेवा में,

श्री वनशा/वनशया माहदु भुरकुड,
गांव-तलासरी(पाटीलपाड़ा),
पोस्ट-तलासरी, तहसील-तलासरी,
जिला-पालघर,
महाराष्ट्र-401606

विषय: आरोपी द्वारा आवेदक की ज़मीन पर जबरदस्ती कब्ज़ा करने के सम्बन्ध में - श्री वनशा/वनशया माहदु भुरकुड, गांव-तलासरी(पाटीलपाड़ा), पोस्ट-तलासरी, तहसील-तलासरी, जिला-पालघर, महाराष्ट्र-401606 का दिनांक 01.04.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामलों में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 08.02.2023 को अपराह्न 12:30 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

1085
28/1/23
जारी
ISSU

भवदीय

(एस. पी. मीना)
उप-निदेशक